संख्या– 816 /26–ब0प्र0–2010–4(154)/2005–टी0सी0

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास
उ0प्र0, लखनऊ।

बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण अनुभाग लखनऊ, दिनांकः 06 अक्टूबर, 2010

विषयः– संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष धनराशि की स्वीकृतिं के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–63/ज0जा0वि0/2010–11, दिनांक 28–4–2010 एवं शासनादेश संख्या–287/26–ब0प्र0–2010–4(154)/05–टी0सी0 दिनांक 31–3– 2010 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष रू0 350.00 लाख जो अनुगम के पी0एल0ए0 में रखी गयी है, में से वित्तीय वर्ष 2010–11 में रू0 163.73 लाख (रूपये एक करोड़ तिरसठ लाख तिहत्तर हजार मात्र) स्वीकृत कार्यो पर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं स्वीकृत किये जा रहे कार्यो का विवरण निम्न प्रकार हैः–

(धनराशि लाख रूपये में)

क0सं0	कार्य का विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	राज्य/भारत सरकार को प्रस्तावित धनराशि	आगणन की धनराशि	पी0एफ0ए0डी0 द्वारा मूल्यांकित/स्वीकृत की जा रही धनराशि	धनराशि अवशेष
1	2	3	4	5	6	7
खीरी 1	06 प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों के लिए आवास का निर्माण (02 आवास प्रति विद्यालय)	उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम	78.00	78.42	78.00	—
2	06 प्राइमरी स्कूलों में अतिरिक्त क्लास का निर्माण (02 क्लासरूम प्रति विद्यालय)	उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम	35.00	43.50	43.50 –.20 43.30	.20
3	एकीकृत जनजाति विद्यालय परियोजना परिसर की बाउन्ड्रीवाल का निर्माण	उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम	57.00	45.67	42.43	
	योग				163.73	

(रूपये एक करोड़ तिरसठ लाख तिहत्तर हजार मात्र)